Office of the Principal, Govt. College for Women, Shahzadpur (Ambala)

Notice No. GKCWSNA/1650/2025 Date: - 15-07-2025

Notice

सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि रैगिंग एक गंभीर दंडनीय अपराध है, जिसे कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। रैगिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित छात्रा के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्रा की स्वयं होगी।

छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में सुरक्षित, सहयोगात्मक एवं सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।रैगिंग से संबंधित किसी भी शिकायत की स्थिति में छात्राएँ महाविद्यालय की एंटी-रैगिंग समिति अथवा माननीय प्राचार्या महोदया से संपर्क करें।

M Bharti 15/7/25

Principal

Principal
Govt. College For Women
Shahzadpur (Ambala)

Anti Ragging Committee
(एंटी-रैगिंग समिति)

Ms. Sonia 15/07/25

Dr. Nandini Nandini

Ms. Monika

Ms. Suman (Ms Suman)